

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक: 592

राँची, दिनांक:- 17.8.2020

सेवा में,

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल,
हजारीबाग ।

विषय :- 33/11 के0भी0 पदमा सबस्टेशन से नचनवे सबस्टेशन तक 33 के0भी0
ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 7.608 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव ।

प्रसंग :- आप का पत्रांक 1615 दिनांक 18.07.2020

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना पदमा सबस्टेशन से नचनवे सबस्टेशन तक 33 के0भी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 7.608 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव FP/JH/Velec/40349/2019 Online तथा Hard Copy इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव की पूर्ण जांच के क्रम में निम्नलिखित कामियां/त्रुटियां पाई गई है।

1. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत दावारहित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
2. इस परियोजना में प्रयुक्त 2.698 हे0 जंगल-झाड़ वन भूमि उपयोग के विरुद्ध उपायुक्त, हजारीबाग के ज्ञापांक 1012 (क0) दिनांक 13.08.2019 द्वारा कुल 5.860 हे0 जंगल-झाड़ वन भूमि हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है। जो काफी विरोधाभासी है।

(क) मौजा-लाटी में प्रस्तावित रकवा 0.570 हे0 है जबकि 0.568 हे0 का ही NOC प्राप्त है।

(ख) मौजा-सरैया के प्लोट न0 1543 रकवा 0.270 हे0 का NOC प्राप्त नहीं है।

(ग) मौजा-पदमा एवं नचनवे में प्रस्तावित प्लॉटवार रकवा एवं प्राप्त NOC रकवा में भिन्नता है।

उपरोक्त कमियों/त्रुटियों के अभाव में प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रसारित करना सम्भव नहीं है। अनुरोध है कि कमियों/त्रुटियों का निराकरण प्रतिवेदन अविलम्ब इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस तरह के अधूरा प्रस्ताव इस कार्यालय में अग्रसारित नहीं की जाय।

विश्वासभाजन

६०

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक 592

दिनांक 17.8.2020

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/M/S JBVNL, कार्यपालक अभियंता, ट्रांसमिशन विद्युत आपूर्ति प्रमंडल हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कंडिका 1 एवं 2 पर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

14.8.20